कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर डीडवाना एसडीएम की गाड़ी कुर्क

अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर उपखंड अधिकारी डीडवाना की गाड़ी कुर्क की गई

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना में वक्फ से जुड़े एक मामले में आठ साल बाद भी कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर शनिवार को अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी डीडवाना की सरकारी गाड़ी को कुर्क कर दिया। इस दौरान कोर्ट के आदेश पर एडीजे न्यायालय के नाजिर ने पुलिस की मौजूदगी में सुबह 10 बजे उपखंड अधिकारी की गाड़ी को कुर्की वारंट आदेश 21 नियम 32 के तहत की कुर्क कर लिया और उसे अपने कब्जे में लेकर कोर्ट परिसर में ही खड़ा कर दिया। इसके बाद अब जिला कलेक्टर और तहसीलदार की गाड़ियां भी कुर्क की जाएंगी, जिसके लिए भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है।

जानकारी के अनुसार अपर सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा ने वक्फ कमेटी डीडवाना बनाम राज्य सरकार के मामले में दायर इजराय याचिका पर सुनवाई करते हुए

- **वक्फ कमेटी बनाम राज्य सरकार के मामले में कार्रवाई की गई**

डीडवाना जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 8 सालों से बार बार जारी कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए तीनों अधिकारियों की गाड़ियों को कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार तीनों को ही लापरवाह अधिकारी बताया। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में 8 सालों से लंबित प्रकरण में बार-बार आदेश जारी होने के पश्चात भी प्रशासनिक अधिकारी केवल खानापूर्ति कर अगली तारीख प्राप्त कर मामले को टरकाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। यह अधिकारी जान बुझाकर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के इन लापरवाह अधिकारियों को न्यायालय के आदेश न मानने की खुली छूट नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर ने सिविल वाद संख्या 43/2003 में 21 दिसंबर 2015 को फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया था कि गजट नोटिफिकेशन में डीडवाना में वर्णित भूमि कब्रिस्तान की वक्फ जायदाद है तथा गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार इस कब्रिस्तान की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें तथा कब्रिस्तान की भूमि में किसी प्रकार की तब्दील करने व उसको किसी को अंतरण करने के लिए वह शाश्वत कल तक विरत रहेंगे। उक्त निर्णय की पालना के लिए अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में वर्ष 2016 में इजराय याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के बाद न्यायालय ने राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय की पालना के लिए उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर व तहसीलदार को बार-बार पत्र लिखे।

वहीं 4 जून 2025 को जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन को उक्त आदेश की क्रियान्विति के लिए तहरीर भी जारी की थी। जबकि 7 जुलाई 2025 को उक्त आदेश की पालना हेतु हुकमनामा भी जारी किया गया था। इसके बावजूद डीडवाना-कुचामन प्रशासन की ओर से इजराय की पालना में कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि इस न्यायालय के आदेश समीचीन है। कोर्ट ने माना कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में पारित निर्णय की प्रशासनिक अधिकारी क्रियान्वित करना ही नहीं चाहते, जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इजराय प्रकरणों को 6 माह में निस्तारित करने का आदेश है। साथ ही हस्तगत प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के लक्षित प्रकरणों के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना (चतुर्थ) में भी यह प्रकरण अपना स्थान रखता है। यह प्रकरण भी 8 सालों से लंबित है और बार-बार आदेश जारी होने के पश्चात भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर कोर्ट ने इस मामले में जारी हुकुम नामों की पालना न करने को अवमानना की श्रेणी में मानते हुए कहा कि प्रशासन के लापरवाह अधिकारियों को न्यायालय के आदेश न मानने की खुली छूट नहीं दी जा सकती, लिहाजा न्यायालय ने इजरायल की पुष्टि के लिए धारा 51 सीपीसी सपठित आदेश 21 नियम 32 के तहत डिक्री की पालना के लिए जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन, उपखंड अधिकारी डीडवाना और तहसीलदार डीडवाना के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया।

पप्पू चीता हत्याकाण्ड में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार

मुख्य आरोपी सहित दो आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं

ब्यावर, (निसं)। पुलिस ने पप्पू चीता हत्याकाण्ड में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी सहित दो आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है।

जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा, आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी राजेश कसाना आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना सिटी मय टीम द्वारा पप्पू चीता हत्याकाण्ड में फरार चल रहे आरोपी शाहरूख खान को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार नौ सितंबर को सजन निवासी नुन्द्री मेहन्द्रतान ने पुलिस थाना सिटी पर एक रिपोर्ट पेश की कि आठ सितंबर की रात्रि में पिताजी के पास मेरे छोटे भाई पप्पू चीता का फोन आया और उसने बताया कि मेरे साथ मील गेट पर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। मैं व मेरा भाई अजय चीता

पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मील गेट पहुंचे तो करीबन 7-8 लड़के व औरतें मेरे भाई पप्पू चीता के साथ मारपीट कर रहे थे। औरतों ने मेरे भाई को पकड़ रखा था और आमीर खान, शाहरुख खान, साहिल खान, आसीफ खान व कालू खान इन सभी के हाथों में धारदार हथियार थे।

इन्होंने मेरे भाई के साथ प्राणघातक मारपीट की, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया जाकर टीम द्वारा सूचना संकलन के आधार पर आरोपी शाहरूख खान पुत्र कालु उर्फ रमजान कायमखानी निवासी सनातन धर्म सभा कॉलोनी नून्द्री मेहन्द्रतान रोड ब्यावर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुके है। पुलिस टीम में आशुतोष पाण्डे पु.नि थानाधिकारी सिटी, रोडुराम उ.नि. और कांस्टेबल सोभाग आदि थे।

कॉलेज छात्रा पर बाइक सवार युवक ने चाकू से हमला किया

लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले किया, युवती हायर सेंटर रेफर

तारानगर (निसं)। तारानगर में पंचायत समिति के पास कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही 22 वर्षीय छात्रा पर बाइक पर आए उसके प्रेमी युवक ने चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। जिसे तारानगर के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर डीएसपी रोहित सांखला व एसएचओ गौरव खिड़िया मय जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

डीएसपी सांखला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गांव की 22 वर्षीय युवती कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी, पंचायत समिति के पास गांव भलाऊ टिब्बा निवासी विकास आया और उसने युवती के गले पर कई वार कर दिए, जिससे युवती गंभीर घायल हो गई जिसका तारानगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि युवक-युवती का पिछले 5-6 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में उनके बीच कहासुनी हो गयी थी। इस बात से खफा युवक द्वारा यह कदम उठाया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक को राउंडअॅप कर लिया गया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं।

डूंगरपुर में आधे घंटे तेज बारिश, गर्मी से राहत मिली

डूंगरपुर, (निसं)। डूंगरपुर में शनिवार दोपहर के समय जाते हुए मानसून की बरसात हुई। सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन धूप निकलने के साथ उमस का असर बढ़ गया। दोपहर को आसमान में घनघोर काले बादलों के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया। इससे लोगों को गर्मी ओर उमस से राहत मिली।

मौसम विभाग की ओर से शनिवार को डूंगरपुर में बारिश का येलो अलर्ट था। सुबह दिन खुलने के समय आसमान में बादल छाए रहे। लेकिन दिन बढ़ने के साथ धूप निकल आई और गर्मी की वजह से उमस का असर बढ़ गया।

लोग पसीने से भी तरबतर रहे। दोपहर ढाई बजे के बाद आसमान में

- **मौसम विभाग की ओर से शनिवार को डूंगरपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था**

घनघोर काले बादल छा गए। फिर हल्की बूंदाबादी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे तक तेज बरसात का दौर चला। बारिश की वजह से दिनभर की उमस से राहत मिली। सड़कों पर भी पानी बहने लगा। बारिश का दौर कम होने के बाद भी आसमान में बादल छाए रहे। डूंगरपुर शहर समेत आसपास के कई इलाकों में बरसात हुई है।

नशीली दवा के साथ चार युवक गिरफ्तार, बाइक जब्त

आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल के 7000 कैप्सूल बरामद किये गये

पावटा, (निसं)। प्रागपुरा थाना पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर नशीली दवा के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं दो बाइक जब्त की है। आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल के 7000 कैप्सूल बरामद किये गये हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड देवेंद्र विश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली वैभव शर्मा के निर्देशन वृत्त अधिकारी विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन एवं प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह व जिला स्पेशल टीम के नेतृत्व में टीम का गठन कर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह द्वारा डीएसटी टीम की सूचना पर दो मोटरसाइकिलों पर अवैध मादक पदार्थ ट्रामाडोल के 7000 कैप्सूल सहित अभियुक्त रिंकू यादव पुत्र तेजराम निवासी बड़नगर, रवि मीणा पुत्र भींवाराम निवासी पोस्ट ऑफिस के पास विराटनगर, सचिन सिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी दूल्हे सिंह वाली ढाणी तन बड़नगर, रवि सिंह पुत्र सुंदर सिंह निवासी तुलसीपुरा को गिरफ्तार किया। वहीं परिवहन में काम में ली गई दो मोटरसाइकिलों को जप्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

विधायक ने मीणा की कुशलक्षेम जानी

बौंली-बामनवास, (निसं)। विधायक इंदिरा मीणा झालावाड़ हादसे में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए नौ दिन से आमरण अनशन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा से मिलने एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुंची एवं उनकी कुशलक्षेम पूछकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। कांग्रेस मीडिया प्रभारी अमन खान ने बताया किविधायक इंदिरा मीणा ने जयपुर के एसएमएस चिकित्सालय पहुंच कर नौ दिन से आमरण अनशन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा को भरोसा दिलाया मासूम बच्चों की आवाज मजबूती से उठाएंगे।

दो अध्यापिकाएं राजकीय सेवा से बर्खास्त

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा विभाग में लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लिया जा रहा है। बीकानेर जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत दो अध्यापिकाओं को बिना सूचना लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक किशन दान चारण ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सुरनाणा में कार्यरत अध्यापिका रेणू तथा शिवप्रताप बजाज प्राथमिक विद्यालय उदयरामसर में कार्यरत अनीता मीणा पिछले चार साल से स्वैच्छिक अनुपस्थित चल रही थी। इन दोनों अध्यापिकाओं ने कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करा रखा था। शिक्षा विभाग की ओर से कई बार इन्हें नोटिस जारी किए गए, लेकिन दोनों शिक्षिकाओं की ओर से कोई जवाब नहीं देने पर अब शिक्षा विभाग ने राजस्थान सेवा निगम 86(4)के तहत इनको राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

प्रतियोगिताएं आज से

सीकर। जिला खेल अधिकारी प्रकाश राम ने बताया कि सेवा पखवाड़ा का आयोजन 21 सितम्बर से 25 सितम्बर तक आयोजित किया जायेगा। जिसके तहत सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।उन्होंने बताया कि फूटबाल 21 सितम्बर 2025 को यालसर, हैडबाल 21 सितम्बर से 23 सितम्बर 2025 तक, बास्केटबाल 22 सितम्बर से 23 सितम्बर 2025 तक, कबड्डी 24 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 तक जिला स्टेडियम सीकर में आयोजित किया जायेगा। इस केंद्र पर कार्यरत समस्त प्रशिक्षकों को निर्देश हैं कि इस तिथियों में अपने खिलाड़ियों के साथ उपस्थित होवें।

पैंथर को शिकार करता देख चरवाहा पहाड़ी से गिरा, उपचार के दौरान मौत

बौंली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र की ग्राम पंचायत झनूण के पास पहाड़ी पर अपने मवेशियों को चराने गया चरवाहा रामगोपाल रैगर (65) निवासी झनूण अचानक पैंथर द्वारा बकरी का शिकार

- **पैंथर ने बकरी का शिकार कर लिया था, चरवाहे ने पैंथर को भगाने का प्रयास किया था, बचाव के दौरान चरवाहा पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया**

करते समय बचाव के दौरान पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया।

घायल को शुक्रवार रात्रि को करीब 11 बजे परिजन व ग्रामीण उपचार के लिए बौंली चिकित्सालय ले गए। चरवाहे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक चरवाहे का शनिवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगोपाल रैगर अपने मवेशियों को लेकर पहाड़ी पर चराने गया था। इसी दौरान अचानक पैंथर ने एक बकरी का शिकार कर लिया, चरवाहे ने चिल्ला-चिल्लाकर पैंथर को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हड़बड़ाहट एवं भय के कारण चरवाहे का पैर फिसल गया, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

देर शाम तक भी उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों व ग्रामीणों ने उसकी पहाड़ी क्षेत्र में खोजबीन शुरू की, तो दो चट्टानों के मध्य चरवाहा गंभीर हालत में घायल पड़ा मिला। जिसे परिजन व ग्रामीण बौंली चिकित्सालय लेकर आए, प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर बौंली तहसीलदार रामचंद्र मीणा, पूर्व सरपंच रणजीत मीणा व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची एवं जानकारी ली।

पहाड़ी से गिरे चरवाहा के शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।

इस मामले को लेकर बौंली रेंज के फॉरेस्टर भूपेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि वन विभाग की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एवं शिकार की गई बकरी की तलाश की गई, लेकिन अभी तक उसके अवशेष नहीं मिले हैं। मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के पैंथर द्वारा हमले के निशान नहीं मिले हैं। वन विभाग की टीम वन क्षेत्र में पैंथर व शिकार की हुई बकरी की तलाश कर रही है। फिर भी मृतक गरीब को जो भी आर्थिक सहायता होगी वह वन विभाग से दिलाई जाएगी।

अपहरण किये व्यक्ति को दस्तयाब कर तीन आरोपी गिरफ्तार किये

पुलिस टीम ने बारां अन्ता तक पीछा कर आरोपियों को दबोचा, घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम पुलिस टीम ने अपहरण के मामले में तत्परता दिखाते हुए घटनाक्रम के कुछ ही घंटों में वारदात का खुलासा करते हुए अपहरण किये गये व्यक्ति को सोरसन-अंता रोड़ पर दस्तयाब किया एवं तीन आरोपियों सहित एक नाबालिग को निरूद्ध किया। मामले में सामने आया कि अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किये गये व्यक्ति को रूपये उधार दिये थे, जिनको नहीं लौटाने पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।

- **अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किये गये व्यक्ति को रूपये उधार दिये थे, जिनको नहीं लौटाने पर वारदात को अंजाम दिया**

पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 19 सितम्बर को फरियादी तनिष जैन ने आरकेपुरम थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसके पिता ताराचंद जैन ने विष्णु नाम के व्यक्ति से दुकान खोलने के लिये कुछ दिन पहले रूपये उधार लिये थे, रूपये नहीं लौटाने के कारण 18 सितम्बर की रात्रि को विष्णु ने उसके पिता ताराचंद जैन का अहरण कर लिया और इसकी सूचना फोन करके उसके ताऊ विमल जैन को दी और कहा कि

आरकेपुरम पुलिस टीम ने अपहरर्णकर्ताओं को गिरफ्तार किया।

उधार के रूपये ब्याज सहित नही लौटाए तो कोई भी घटना कारित हो सकती है। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया।

शहर एसपी ने बताया कि अपहरण का मामला सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उपअधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में आरकेपुरम थानाधिकारी महेन्द्र मारू के नेतृत्व में टीम गठित की गई। शहर एसपी ने कहा कि गठित टीम को मुखबीर की सूचना से आरोपियों के देवली मांझी सांगोद क्षेत्र में होने की जानकारी मिली। शहर एसपी ने बताया कि सूचना पर गठित टीम ने आरोपियों की सांगोद क्षेत्र में तलाश करते हुए मुखबीर की सूचना व तकनिकी सहायता से आरोपियों का पीछा करते हुए सोरसेन से अंता की ओर जाने वाली रोड़ पर कार्यवाही करते हुए अपहरण किये गये व्यक्ति ताराचंद जैन को बाइक पर अपहरण करके ले जाते हुए आरोपी विष्णु ऐरावल को मय बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अपहरण के मामले में दो सहयोगी रामप्रताप योगी व मनोज कुमार ऐरावल को पानाहेड़ा गांव से डिटेन कर अपराध में संलिप्त होने पर प्रकरण में गिरफ्तार किया, साथ ही एक बालक को निरूद्ध किया गया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

शहर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अपहरण किये गये व्यक्ति ताराचन्द जैन ने बताया कि 18 सितम्बर की रात्रि को स्कूटी से सब्जी लेकर घर की तरफ जाते समय रामलीला मैदान के समीप विष्णु ऐरावल व रामप्रताप ने उसे रोककर जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और उसका अपहरण कर दुदिया खेड़ी माताजी के जंगल में ले गये और रातभर उधार लिये गये रूपयों को ब्याज सहित लौटाने का दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी देते रहे। उन्होंने बताया कि अगले दिन सुबह दुदिया खेड़ी के जंगलों से सांगोद होते हुए सोरसन की तरफ ले जा रहे थे, और उसके भाई को भी फोन करके ब्याज सहित 3 लाख रूपये देने को कहा। शहर एसपी ने कहा कि पुलिस टीम ने मामले में तत्परता दिखाते हुए मामले का खुलासा किया।

सांवलियाजी सेठ के भंडार से प्रथम दिन 9 करोड़ 70 लाख रुपए निकले

मंडफिया, (निसं)। भगवान श्रीसांवलियाजी सेठ मंडफिया के दरबार का भंडार चतुर्दशी शनिवार को मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं सांवलियाजी मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम की उपस्थिति में खोला गया। चतुर्दशी को खोले गए भंडार गिनती से प्रथम दिन 9 करोड़ 70 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए। भंडार की शेष रही राशि की गिनती दूसरे चरण में 22 सितंबर सोमवार को की जाएगी।

वहीं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा सांवलिया जी सेठ के दर्शन करने मंडफिया पहुंचे। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा का मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने ऊपरना ओढ़ाकर भगवान का महाप्रसाद एवं तस्वीर भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। दर्शन पश्चात कैबिनेट मंत्री मीणा ने मंदिर में चल रही भंडार गिनती का अवलोकन किया। मंदिर अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने मंत्री मीणा को मंदिर इतिहास एवं विकास कार्यों की जानकारी दी।

भंडार गिनती में मंत्री हेमंत मीणा व मंदिर अध्यक्ष वैष्णव मौजूद रहे।

भंडार गिनती में मंदिर बोर्ड सदस्य हरिराम गाडरी, रामलाल गुर्जर, किशनलाल अहीर, पवन तिवारी, लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह, संपदा एवं

- **भंडार की शेष रही राशि की गिनती दूसरे चरण में 22 सितंबर को की जाएगी**
- **कैबिनेट हेमंत मंत्री मीणा ने भगवान सांवलियाजी सेठ दर्शन कर भंडार गिनती का अवलोकन किया और मंदिर के इतिहास की जानकारी ली**

मंदिर प्रभारी भैरूगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह राजपूत, संस्थापन प्रभारी लेहरी लाल गाडरी, बिहारी लाल गुर्जर, भैरूलाल गुर्जर, दीपक तिवारी, जितेन्द्र त्रिपाठी सहित मंदिर के चुनिंदा कर्मचारी एवं बैंकों के कर्मचारी उपस्थित थे।